महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या–4124 / चि0–3–16–जी–179 / 2005

प्रेषक,

अरूण कुमार सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 9 दिसम्बर, 2016

विषयः पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के पुरूष एवं महिला चिकित्साधिकारियों को प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में पी0जी0 डिप्लोमा के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 07.04.2016 के अनुक्रम में सत्र 2016–17 में प्रवेश के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–प्रशि0प्रको0 / पी0जी0 / 2016–17 / 3477, दिनांक 12.04.2016 जिसके द्वारा पी0जी0 डिप्लोमा सत्र–2016–17 के काउंसलिंग हेतु महानिदेशालय स्तर पर प्रचलित कार्यवाही जारी रखी जाए अथवा नही के सम्बन्ध में दिशा निर्देश उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या–55875 / 2015 डा0 अशोक कुमार बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.04.2016 का अनुपालन करते हुये पी0एम0एच0एस0 के चिकित्साधिकारियों को सत्र 2016–17 के लिए पी0जी0 डिप्लोमा पाठ्यक्रम में नामाकंन की कार्यवाही करने का कष्ट करे।

3– यह आदेश न्याय विभाग के प्राप्त परामर्श के अनुसार निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अरूण कुमार सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–4124(1) / चि0–3–16–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जवाहर भवन लखनऊ।
3. निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. निदेशक (प्रशिक्षण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला पुरूष / महिला चिकित्सालय उत्तर प्रदेश ।
8. गार्ड फाईल / प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।

आज्ञा से,

(डा0 नीरज शुक्ला)
विशेष सचिव